



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

8982

क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2023-24

//आदेश//

दिनांक 13/12/23

क्र.

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 187 वीं सभा की बैठक दिनांक 04/10/2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्र.	संकाय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (9 वीं अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/पुंदि सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	प्रकाशित क्रमांक
1	Faculty of Agriculture	B.Sc. Agriculture Hons	-	240	180	81
		M.Sc. Agriculture (Agronomy)	-	30	30	82
		M.Sc. Agriculture (Genetic & Plant Breeding)	-	30	30	
		M.Sc. Agriculture (Soil Science)	-	30	30	
		M.Sc. Agriculture (Horticulture)	-	30	30	

शर्त :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों के मापदण्डों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाईडलाइन के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाइन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था/एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
- यूजी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संचारित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

प्रबंधक

म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल

दिनांक 12/12/2023

पृष्ठांकन...../म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2023-24

प्रतिलिपि-

- निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल।
- कुलसचिव, विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- मूल नस्ती।

प्रबंधक

म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल